न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—02 सन् 2019

सुकेश्वर सिंह............................वादी।

बनाम

अखिलेश्वर सिंह वगैरह.................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 18.07.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 06 नियम 17 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 05.04.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 03 नाबालिग है जो इस वाद के विवादित जमीन कुछ इलाके के धुर्त व असाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जरसम्मन केवाला करते चले जा रहे हैं। मोकदमा में बजरीय इंतनाई आदेश दिनांक 06.07.2021 को न्यायालय द्वारा बिक्री पर रोक लगा दी गई है बावजूद इसके मोकदमा के दौरान प्रतिवादी सं0 03 नबालिग एवं प्रतिवादी सं0 13 प्रियंका कुमारी बैनामा तकरारी खेसरा के निस्वत करा दिया गया है जबकि प्रतिवादी सं0 03 का खानदानी जमीन में बहुत ही अल्प हिस्सा होगा। लेकिन बैदारान जानबूझकर नाजायज ढंग से बैनामा वास्ते खरकसा पैदा करने हेतु ले रहे हैं। भविष्य में झंझट मिटाने हेतु आवेदन में लिखित बैदारों को फरीक बना देना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि आवेदन में लिखित व्यक्तियों का नाम वो पता प्रतिवादी खाना में जोड़कर प्रतिवादी फरीक बनाने का आदेश देने की कृपा किया जाए।

प्रतिवादी की ओर से वादी के उपरोक्त आवेदन पर नो ऑब्जेक्श लिखा गया है तथा उनके ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी आवेदन में लिखित व्यक्तियों को प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि मोकदमा के दौरान प्रतिवादी सं0 03 नबालिग एवं प्रतिवादी सं0 13 प्रियंका कुमारी बैनामा तकरारी खेसरा के निस्वत करा दिया गया है जबकि प्रतिवादी सं0 03 का खानदानी जमीन में बहुत ही अल्प हिस्सा होगा। लेकिन बैदारान जानबूझकर नाजायज ढंग से बैनामा वास्ते खरकसा पैदा करने हेतु ले रहे हैं।

भविष्य में झंझट मिटाने हेतु आवेदन में लिखित बैदारों को फरीक बना देना न्यायहित में आवश्यक है तथा आवेदन में लिखित बैदारों को प्रतिवादी के खाने में प्रतिवादी सं0 28 ता 36 बनाना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 05.04.2023 को 500/—रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत (बिहार सरकार) में जमा करें।

वाद दिनांक.....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।